

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, सेक्टर-6, नौएडा (गौतमबुद्ध नगर)

पत्राक: नौएडा/वि0नि0/2024/1169

दिनांक 14 मार्च, 2024

मुख्य विधि सलाहकार,
नौएडा।

विषय : विभिन्न मदों में भत्तों में वृद्धि के पश्चात् रिवाइज्ड वेतन के अनुसार विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।


कृपया उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 13.03.2024 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) के शासनादेश संख्या: 140/दो-4-2024-45(1)/2020टी.सी. नियुक्ति अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक 28.02.2024 के अनुसार आपको माह मार्च, 2024 (01.04.2024 को देय) का वेतन निम्नानुसार देय होगा :-

क्रम सं०	मूल वेतन/भत्ता	धनराशि	कटौती का विवरण	धनराशि
1.	मूल वेतन	रु० 1,63,030/-	जी.पी.एफ.	रु० 35,000/-
2.	महंगाई भत्ता	रु० 81,515/-	आयकर	रु० 60,000/-
3.	प्रतिनियुक्ति भत्ता	रु० 3,000/-	जी.आई.एस.	रु० 400/-
4.	चिकित्सा भत्ता	रु० 3,500/-	एच.आर.आर.	रु० 1,500/-
5.	अतिथि सत्कार भत्ता	रु० 7,800/-	जी.वी.आर.	रु० 1,000/-
6.	आर.ओ.ए.	रु० 300/-		
7.	बाल शिक्षा भत्ता	रु० 2,250/-		
8.	घरेलू सेवक भत्ता	रु० 10,000/-		
	कुल	रु० 2,71,395/-	कुल कटौती	रु० 97,900/-

शुद्ध देय धनराशि रु० 1,73,495/-

माह मार्च, 2024 से उपरोक्तानुसार वेतन देय है।

Self Attested
gn


14.3.24
(स्वतन्त्र कुमार)
वित्त व सिंधि पत्रक
नौएडा